

सम्पादकीय

पश्चिम एशिया में शांति की राह में खड़े हैं अधिकारों से जुड़े कई **सवाल**



-प्रियंका सौरभ

सुरेन्द्र कुमार

अपराधियों को दंडित करने के इस्साइल के अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन गाजा में इस्साइल ने जो जमीनी हमला शुरू किया है, वह भी गंभीर मामला है। जो लोग सामान्य स्थिति की वापसी चाहते हैं, उन्हें सारे तथ्य बिना किसी पूर्वाग्रह के अंतरराष्ट्रीय समूदाय को बताना चाहिए। यदि कोई हमरे किसी प्रियवर्ण की हत्या कर देता है, तो हमें सदमा लगता है। हम दुखी व क्रोधित होते हैं और हमलावर को सजा देना चाहते हैं। यह स्वाभाविक और समझ में आने वाली मानवीय प्रतिक्रिया है। राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी यही सच है। जब बाहरी लोग किसी राष्ट्र के नागरिकों की हत्या करते हैं, तो उनके नेता हैरान और क्रोधित होकर अपराधियों को दंडित करने की कसम खाते हैं। अल कायदा ने जब 11 सितंबर, 2001 को अभूतपूर्व आतंकी हमले में न्यूयॉर्क के ट्रिवन टावर को उड़ा दिया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंक के खिलाफ युद्ध की शुरूआत की थी। अल कायदा के आतंकवादी हमलों के लिए बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सामूहिक रूप से दंडित करना एक बड़ी भूल होती। आक्रामक उकसावों के बाद शांत रहना और तार्किक ढंग से विचार करके नपे-तुले और परिपक तरीके से जवाब देना आसान नहीं होता, लेकिन महान नेता इहीं गुणों से बचने हैं। विचार सार्व अकृता को विचार तात्पर में दर्शाता है। जिसी

सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रैगिंग के शिकार होते हैं वे पढ़ाई छोड़ सकते हैं जिससे उनके करियर की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। गंभीर मामलों में आत्महत्या और गैर इरादतन हत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं। रैगिंग को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी छात्र की गरिमा का उल्लंघन करता है या ऐसा माना जाता है। नए लोगों के %स्वागत% के बहाने की जाने वाली रैगिंग इस बात का प्रतीक है कि व्यापक मानवीय कल्पना कितनी दूर तक फैल सकती है। सच है, मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं है, शैतानी रैगिंग की भी कोई सीमा नहीं है। आज, रैगिंग भले ही भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में गहरी जड़ें जमा चुकी है, लेकिन कई लोगों को यह जानकर आश्वस्त होगा कि रैगिंग मूल रूप से एक पश्चिमी अवधारणा है। ऐसा माना जाता है कि रैगिंग की शुरुआत कुछ यूरोपीय विश्वविद्यालयों में हुई जहां संस्थानों में नए छात्रों के स्वागत के समय वरिष्ठ छात्र व्यावहारिक मजाक करते थे। धीरे-धीरे रैगिंग की प्रथा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। हालाँकि, समय के साथ, रैगिंग ने अप्रिय और हानिकारक अर्थ ग्रहण कर लिया और इसकी कड़ी निंदा की गई। आज, दुनिया के लगभग सभी देशों ने रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कड़े कानून बनाए हैं और कनाडा और जापान जैसे देशों में इसे पूरी तरह से समाप्त

कर दिया गया है। लेकिन दुख की बात है कि ब्रिटिश राज से रैगिंग विरासत में मिला भारत इस अमानवीय प्रथा के चंगुल से खुद को मुक्त नहीं कर पाया है। बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि रैगिंग का सबसे बुरा रूप भारत में होता है। दरअसल एक शौध के अनुसार, भारत और श्रीलंका दुनिया के केवल दो देश हैं जहाँ रैगिंग मौजूद है। नए छात्रों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखकर, एक वरिष्ठ छात्र अधिकार की भावना का पोषण करता है जो उसके मनोबल को बढ़ाता है और उसे ऊंचे स्थान पर रखता है। एक वरिष्ठ व्यक्ति जिसका रैगिंग का पुराना इतिहास रहा है, वह परपीड़क सुखों पर अपनी निराशा व्यक्त करके वापस आना चाहेगा। एक संभावित रैगर रैगिंग को एक गरीब नए छात्र की कल्पना की कीमत पर अपने परपीड़क सुखों को संतुष्ट करने के एक अच्छे अवसर के रूप में देखता है। यह भी एक वास्तविकता है कि रैगिंग करने वाले सभी वरिष्ठ अपनी इच्छा से ऐसा करने का आनंद नहीं लेते हैं। अपने अधिकांश बैच साथियों को रैगिंग में लिस देखकर उन्हें छूट जाने का डर रहता है। इसलिए अलगाव से बचने के लिए, वे भी झुंड में शामिल हो जाते हैं। पैसे, नई पोशाक, सवारी आदि के रूप में ठोस लाभ के साथ कई वरिष्ठ छात्र इस गलतफहमी में रहते हैं कि रैगिंग एक स्टाइल स्टेटमेंट है और इस तरह उन्हें % उनके

कॉलेज की % प्रभावशाली भीड़ में सामिल कर देगी। ऐसा कहा जाता है कि नर्क का रास्ता अच्छे इरादों से बनता है। रैगिंग के मामले में यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। रैगिंग के नाम पर मैत्रीपूर्ण परिचय से जो शुरू होता है उसे धृषित और विकृत रूप धारण करने में देर नहीं लगती। रैगिंग की एक अप्रिय घटना पीड़ित के मन में एक स्थायी निशान छोड़ सकती है जो आने वाले वर्षों तक उसे परेशान कर सकती है। पीड़ित खुद को शेष दुनिया से बदनामी और अलगाव के लिए मजबूर करते हुए एक खोल में सिमट जाता है। यह उस पीड़ित को हतोत्साहित करता है जो कई आशाओं और अपेक्षाओं के साथ कॉलेज जीवन में शामिल होता है। हालाँकि शारीरिक हमले और गंभीर चोटों की घटनाएँ नई नहीं हैं, लेकिन रैगिंग इसके साथ-साथ पीड़ित को गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव और आघात का कारण भी बनती है। जो छात्र रैगिंग का विरोध करना चुनते हैं, उन्हें भविष्य में अपने वरिष्ठों से बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रैगिंग के शिकार होते हैं वे पढ़ाई छोड़ सकते हैं जिससे उनके करियर की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। गंभीर मामलों में आत्महत्या और गैर इरादतन हत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं। एक मजबूत लेकिन सुधारात्मक दंड प्रणाली के साथ एक मजबूत रैगिंग विरोधी कानून केंद्र और राज्य

दोनों सरकारों का कर्तव्य है। । सरकार ने 2007 में रैगिंग मुद्दे पर अध्ययन के लिए राघवन समिति की स्थापना की थी; और इसकी कई सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। इसके अलावा, सरकार छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो आदि का उपयोग कर सकती है। व्यापक परिवेश में, सरकार को परिसर में शाराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर लगाम लगानी चाहिए, जो रैगिंग की घटनाओं को बढ़ावा देती है। अब तक रैगिंग पर रोक लगाने वाले दो ऐतिहासिक फैसले आ चुके हैं। तिरुवनंतपुरम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम केरल राज्य में फेशर्स की रैगिंग। राष्ट्रपति के माध्यम से विश्व जागृति मिशन बनाम कैबिनेट सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार। यूजीसी के साथ-साथ एआईसीटीई, एम्सीआई आदि जैसे क्षेत्रीय निकायों को इस खतरे को रोकने में संस्थानों की भूमिका और ऐसा करने के तरीकों और साधनों के बारे में समय पर अनुस्मारक भेजने की जरूरत है। यह तथ्य कि 2009 के यूजीसी दिशानिर्देश भारत में एकमात्र व्यापक रैगिंग विरोधी नीति है, इस विचार को पुष्ट करता है। यूजीसी के साथ-साथ एआईसीटीई, एम्सीआई आदि जैसे क्षेत्रीय निकायों को इस खतरे को रोकने में संस्थानों की भूमिका और ऐसा करने के तरीकों और साधनों के बारे में समय पर अनुस्मारक भेजने की जरूरत है। यह तथ्य कि 2009 के यूजीसी दिशानिर्देश भारत में एकमात्र व्यापक रैगिंग विरोधी नीति है, इस विचार को पुष्ट करता है। रैगिंग विद्यार्थियों की और विद्यार्थियों की समस्या है; और इसलिए इसका समाधान भी विद्यार्थियों के पास है। कॉलेजों में रैगिंग के अनियन्त्रित होने के साथ, अब समय आ गया है कि छात्र समुदाय इस अमानवीय प्रथा के प्रति अपनी अंतरात्मा को जगाए, इससे पहले कि अधिक से अधिक निर्दोष छात्र इसका शिकार बनें और इससे पहले कि अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थान इसके कारण अपमानित हों। रैगिंग पर अंकुश लगाने की प्राथमिक जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों की होगी। इन पर नियंत्रण के लिए मीडिया एवं नागरिक समाज की भी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, रैगिंग को संज्ञय अपराध घोषित करने से रैगिंग पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में जाने वाले छात्रों को पुलिस के डर के साथे में नहीं रहना चाहिए। हालाँकि, छात्रों पर हाल के प्रभाव को देखते हुए, रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। रैगिंग से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी न्यायालय की सौंपी गई है। रैगिंग के प्रतिकूल प्रभाव की पिछली यादें इन कानूनों के सख्ती से कार्यान्वयन से ही मिटाई जा सकती हैं।

काबैन उत्सज्जन के प्रति सचेत होंगे तो पर्यावरण भी बचेगा और खर्च भी



राइट टू रिपेयर का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उत्पादों की मरम्मत में निर्माता कंपनियों का एकाधिकार खत्म करना है। आज हर व्यक्ति औसतन दो साल में अपना मोबाइल फोन बदल रहा है। इस दर से अपने जीवन काल में वह लगभग 30 फोन उपयोग में ले चुका होगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उत्पाद बदलते मॉडल के साथ बाजार से बाहर होते जाते हैं और उपभोक्ताओं संस्कृति के नाते आमजन उत्तर उपयोग यैफेशन के नाम पर बदलाव करते लेता है। यह सब करते हुए उसे इस तथ्य का एहसास भी नहीं होता कि उपयोग में ली जा रही वस्तु के निर्माण के दौरान कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा। बार बार उत्पाद को बदला जाएगा, तो उतना ही विकट कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव होगा। विभिन्न उपयोग उत्पादों को संपूर्ण जीवन अवधि तक उपयोग के उद्देश्य से दुनिया में % राइट टू रिपेयर% - यार्न मरम्मत के अधिकार की मुहिम

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उत्पादों की मरम्मत में निर्माता कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना भी है। यह आंदोलन मूलतः इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रोनिक तथा ऑटोमोबाइल उत्पादों की मरम्मत में व्याप्त एकाधिकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। अभी उत्पादों की मरम्मत के लिए पूर्णतया उसके निर्माता द्वारा अधिकृत स्थल पर ही निर्भर रहना होता है। अनेक कंपनियां

उत्पादों को विलोपित कर देती है, ताकि उनके कल-पुर्जों के अभाव में उपभोक्ता के पास उत्पाद को फेंकने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही न रहे। बड़े निर्माताओं के एकाधिकार के चलते संपूर्ण विश्व में सूक्ष्म एवं लघु मरम्मत व्यवसायियों, कुशल अभियंताओं, सहायकों के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर संकट खड़ा होता चला जा रहा था। इसका असर आम उपभोक्ता पर

लगभग पांच करोड़ टन ई-वेस्ट प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है और उसमें से एक तिहाई यानी 1.6 करोड़ टन ई-वेस्ट अकेला भारत उत्पन्न करता है। संसाधनों के अभाव में एक तिहाई का ही पुनःचक्रण या प्रसंस्करण हो पाता है। यह मात्र इतनी है, जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जाएं। यदि विषये कर्चे का विश्लेषण करें तो उसका 70 फीसदी भाग ई-वेस्ट ही होता है। इन्हीं तथ्यों के

मरम्मत के अधिकार आंदोलन की नींव रखी गई, जो ई-वेस्ट की मात्रा कम करने हेतु प्रभावी कदम है। यदि उपभोक्ता को मरम्मत करने की सुविधा प्राप्त हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बदलाव को आधे से भी कम किया जा सकता है। अधिकांश उपभोक्ता आज वस्तुओं को इसलिए बदलते हैं, क्योंकि मरम्मत की सुविधा नहीं है। अगर यह सुविधा है भी, तो निर्माता द्वारा निर्धारित सीमित स्थलों पर। % राइट टू रिपेयर% का उद्देश्य निर्माता कपणियों को बाध्य करना है कि वे अपने उत्पाद संबंधी कल-पुर्जे औजार, निदान के उपकरण तथा समस्त जानकारी उपभोक्ता एवं उन सभी को प्रदान करें। इस अधिकार के कानूनी रूप लेने के साथ मोबाइल फोन, वाशिंग मशीन, फिज इत्यादि की आयु स्वतः ही बढ़ जाएगी और घरेलू व्यय में भी कटौती होगी। अमेरिका में पहली बार राइट टू फेयर रिपेयर कानून पारित किया

पूर्वक उनका मरम्मत करवाने जरूरी है। इससे हमारी धरती को

बेगानों से सोशल मीडिया के जरिये परवान घट्टा प्रेम या फितर



1

जो जाना कि लिए जाते बदल उन्होंना बाहर आ जाते हैं, जिससे विभिन्न अरब शिखर सम्मेलनों में मंजूरी दी गई है। रोजाना हजारों फलस्तीनियों के साथ अपमानजनक व्यवहार और कब्जे वाले इताकों पर बसियों के विस्तार के खाने से हमास निष्प्रभावी हो गया होता और फलस्तीनी प्राधिकरण की वैधता और स्थिति मजबूत हुई होती। पर पश्चिम एशिया के नेता फलस्तीनी प्राधिकरण के लोकतात्त्विक तरीकों को लेकर बहुत सहज नहीं हैं, उन्हें डर है कि यह उनके अपने शासन को खत्म कर देगा। इसलिए वे फलस्तीनी राष्ट्र के लिए दबाव बनाने के बजाय सिर्फ दिखावा करने तक ही सीमित रहते हैं। पश्चिमी नेता एक जुटा दिखाने के लिए इस्ताइल जा रहे हैं। वह ठीक है। लेकिन वे गाजा में फलस्तीनियों के प्रति अपनी करुणा और दयालुता क्यों नहीं दिखा सकते, जहां इस्ताइल ने अब जमीनी हमला शुरू कर दिया है? क्या वे इसान नहीं हैं? उनके दुख और कष्ट कोई मायने नहीं रखते?

गई है। संयुक्त परिवार की अवधारणा समाप्त होती जा रही है। लिहाज और शर्म की भावना लगभग खत्म हो गई है। वहीं वैवाहिक रिश्तों के दरकाने को भारतीय समाज के लिये एक बड़ी चुनौती माना जाएगा। जो समाज में कई तरह की विकृतियों को जन्म दे सकता है। रिश्तों की पवित्रता को लेकर पश्चिमी जगत में जिस भारत की मिसाल दी जाती रही है आज वह ही रिश्तों के संक्रमण बाले दौर से गुजर रहा है। अपने बच्चों को लेकर थोड़ा चल देने वाले ये रिश्ते आखिर किस सुख की तलाश में भटक रहे हैं? क्या इस भटकन की कोई मजिल है? नारी नारायणी मिथक पुरातन पड़ गया है। क्या हो गया चरित्र और नैतिकता को? मुझे ऐसा लगा पीढ़ी परिवर्तन है। क्या आदत की लाचार ये पीढ़ी, संस्कारहीन और भौतिक सुखों की लालसा से भरी हुई हैं, मृगमरारिचिका बनी हुई हैं और इसी तलाश में मरेरी। वर्तमान में भारत पक्षिस्तान के साथ दुनिया में सुर्खियां बटोरे रही दोनों ही औरतों ने पहले लब मैरिज की है, अब फिर इन्हे प्यार हो गया। न इन्हे मासूम बच्चों की परवाह है? ऐसे रिश्ते सिर्फ समाज को भटकाने का काम करते हैं। क्योंकि इनकी

के अधिकारियों व कर्मचारियों के किसी सुंदरी के जरिये पाकिस्तान से जामूसी के लिये इस्टमाल किया जाता रहा है। यह गहन शोध का विषय है। हमने आजतक इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया है। आजकल की पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रही है। अंग प्रदर्शन, एशो-आराम, अवांछित स्वतंत्रता, आधुनिकता का दिखावा और अच्छे संस्कारों का अभाव और अनैतिकता और पैसे की प्रति अत्यधिक लगाव जैसी आदतें मुख्य कमजोरी बन गई हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा समाप्त होती जा रही है। लिहाज और शर्म की भावना लगभग खत्म हो गई है। कई बार ऐसा होता है, औरतें घर छोड़कर भाग जाती हैं। कभी अकेली ही तो कभी सहारे के लिए किसी के साथ, इसलिए नहीं कि उन्हें डराती हैं। जिम्मेदारियां, उन्हें डराते हैं लोग और ले जाते हैं इस हद तक, कि तिनका-तिनका जोड़ा घर ही, उन्हें बेगाना लगने लगता है। बेगानी बस्ती से ज्यादा, वो घर जिसे बार-बार, उसे अपना बताया जाता है। जन्म लेने से मरने तक, जो कभी उसका होता ही नहीं, सास बनने तक सास का शासन, बहू के आने से पहले ही, घर जिन जाने का डर,

उसे हर पल सताता है। जिस घर को उसे बार-बार उसका अपना बताया जाता है। इन्हां तो वह सह जाती है, पर जब गांठ बांधकर, हाथ थाम कर लाने वाला ही, कब पराया हो जाता है। गांठ खोलकर आलमारी में रख देता है, और हाथ पकड़कर, किसी और का हो लेता है, तब औरत, बेगानों को छोड़कर, बेगानी बस्ती की ओर निकल जाती है। इन घटनाक्रमों ने एक बार फिर से सोशल मीडिया की सामाजिकता को लेकर बहस तेज कर दी है। हाल की दोनों घटनाओं को छोड़ भी दें तो देश में हजारों किस्से ऐसे हैं कि जिनमें सोशल मीडिया के जरिये लड़कियों से छल किया गया। उन्हें लूटा गया और उनकी हत्या तक कर दी गई। एक परिषक्त व्यक्ति के लिये सोशल मीडिया के गहरे निहितार्थ हैं। लेकिन छोटी उम्र में बहकने को भटकाव ही कहा जायेगा। वहीं वैवाहिक रिश्तों के दरकने को भारतीय समाज के लिये एक बड़ी चुनौती माना जाएगा। जो समाज में कई तरह की विकृतियों को जन्म दे सकता है। रिश्तों की पवित्रता को लेकर पश्चिमी जगत में जिस भारत की मिसाल दी जाती रही है आज वह ही रिश्तों के संक्रमण वाले दौर से गुजर रहा है। औरते तो रोज भागती हैं। पर उनके भागने में और बॉर्डर पार शादीशुदा औरत के भागने में बड़ा फर्क है। यह एक सामाजिक त्रासदी है। उच्छ्वस्यलता नहीं। देश के लिए प्रेम त्यागा जा सकता है। प्रेम के लिए देश नहीं। ऐसे लोगों की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। व्या आज की कानून व्यवस्था से वह राजा-महाराजाओं और अंग्रेजों वाला कानून में फैसलों में देरी नहीं होना दंड प्रक्रिया के अंतर्गत तुरंत सजा देकर निस्तांतरण हो जाना आज के मुकाबले बेहतर लगता है। सामाजिक? खाप पंचायतों/पंचो-पट्टलो/मुखियाओं का विरोध विरोध हुआ उन्हें रुढ़िवादी, गैर परंपरागत, अमानवीय, और धृणित मानसिकता घोषित कर उन्हें बंद कराने के लिए कानून में महिला उत्पीड़न के आधे अधूरे दावों पर कानूनों में संशोधन किया तो विसंगतिपूर्ण कानून ने महिलाओं को स्वच्छ-स्वतंत्र होने के ऐसे पंख लगा दिए गये। 21जिसके विकृत परिणाम स्वरूप ऐसे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। बिना शादी-संबंध के लड़के-लड़की एक जगह रह रहे हैं। यह व्यवस्था सामाजिक संस्थानों और संस्कृति के धज्जियां उड़ाने के लिए कानून जो बनाएं हैं यह उसकी बदलाली का एक रूप है।

